न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः— 54 / 2023 तारीख रजू 28.07.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

बनाम

1. Sarvesh Kumar Singh S/O Sitaram Singh (Seller) M/s Urban Living Food Products (A Unit of Jungle Home Holiday Pvt. Ltd) F-7, F-8 RIICO Industrial Area Road Sawai Madhopur
2. Sher Singh Choudhary S/O Banay Singh, Barkheda Bharatpur (Prop.) M/s Urban Living Food Products (A Unit of Jungle Home Holiday Pvt. Ltd), F-7, F-8 RIICO Industrial Area Ranthambhore Road Sawai Madhopur

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)/51,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः— दिनांक 12 / 08 / 2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18.01.2023 को समय 02.20 पी.एम. पर रणथम्भौर रोड स्थित M/s Urban Living Food Products (A Unit of Jungle Home Holiday Pvt. Ltd) F-7, F-8 RIICO Industrial Area Road Sawai Madhopur पर पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम सर्वेश कुमार सिंह होना बताया विक्रेता होना बताया। और अपना आधार कार्ड दिखाया। एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु Packaged Drinking Water (Bullfinch) Bottles की लगभग 1000 पैकज्ड बोतले रखी हुई थी। Packaged Drinking Water (Bullfinch) Bottles में गुणवत्ता / मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 01 लीटर वजनी 16 बोतले खरीदकर उसकी कीमत 100 / — रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान चन्द्रशेखर शर्मा के हस्ताक्षर करवाये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] Packaged Drinking Water (Bullfinch) Bottles की 16 बोतलो को [illegible] 04-04 [illegible] चार भाग तैयार करके चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर [illegible] और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2575** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2575 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सर्वेश कुमार सिंह (विक्रेता) ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति सर्वेश कुमार सिंह (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/207 दिनांक 21.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/142/एक्ट/2023/194 दिनांक 24.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Packaged Drinking Water (Bullfinch), Misbrand Food Under Section (3)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्डेड Packaged Drinking Water (Bullfinch) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा अभियुक्त संख्या 1 के नौकरी छोडकर चले जाने तथा वर्तमान में [illegible] नहीं होने बाबत प्रमाण पत्र पेश कर अभियुक्त संख्या 1 को अभियुक्त संख्या 2 [illegible] निवेदन किया एवं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में बहस [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ **Packaged Drinking Water (Bullfinch)** मिसब्राण्ड प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी के सैंपल में कोई मिलावट नहीं की ना ही गलत ब्राण्ड का हो ना ही मानव जीवन के लिए हानिकारक हो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक हो। केवल मात्र टारगेट पूरा करने के लिए समय समय पर जो अभियान चलाते है। उनकी पूर्ति हेतु यह कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी का सैंपल पूर्णतयाः सही है, ना ही कोई मिलावट अप्रार्थी द्वारा की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2023 को फार्म संख्या 5ए में उत्पाद की मैन्यूफैच्यरिंग तारीख 19.12.2022 बताया गया है। उपरोक्त पानी की बोतले का सैंपल लिए व कार्यवाही को मात्र एक माह हुआ जबकि एक्सपायरी छः माह बाद है जो **Best before 6 Months** है। जो 6 माह तक वैध है और खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.01.2023 है जो कि मेन्यूफैक्चरिंग की दिनांक से मात्र एक माह के अन्तराल में है । इस तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस पर कोई गौर नहीं किया सैंपल को एक्सपायरी के आधार पर मिसब्राण्डेड कर दिया व गलत तरीके से मनमाने ढंग से कार्यवाही की गई है जो निरस्तनीय है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/142/एक्ट/2023/194 दिनांक 24.01.23 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zz)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन नंबर 5(10)(a) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं डिस्प्ले) रेगूलेशन, 2020 के उल्लघंन का दोषी माना गया है। उक्त रेगूलेशन 5(10)(a) के अनुसार लेबल पर " उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तारीख" और "समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि" दी जाएगी। तथापि ऐच्छिक अथवा अतिरिक्त सूचना के रूप में "से पूर्व बेहतर" अभिव्यक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेब रिपोर्ट के अनुसार उत्पाद पर पैकेजिंग तारीख दर्ज है किन्तु समाप्ति तिथि अंकित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली में उपलब्ध फार्म संख्या 5ए पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेन से "बेस्ट बिफोर 6 मन्थ फ्रोम दी डेट आफ पैकेजिंग" अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह कहीं भी विदित नहीं होता है कि नमूना उत्पाद की समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि अंकित हो और ना ही अभियुक्त द्वारा समाप्ति तिथि अंकित होने के संबंध में कोई प्रमाण पेश किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:26 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को **मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ** Packaged Drinking Water (Bullfinch का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 2 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:26 IST
Reason: SelfAttested